- 545502
371.2914
HAR-N

प्रेषक

निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा।

Documentation Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,SriAurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No....
Date..........

सेवा में

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक 9/1-82 तम (1)
दिनांक चण्डीगढ़: 15-7-82

विषय: वर्ष 1982-83 में शिक्षक वर्ग की सामान्य स्थानान्तरण नीति।

वर्ष 1982-83 में शिक्षक वर्ग की सामान्य स्थानान्तरण नीति निम्नप्रकार से होगी:-

1- शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी शिक्षक वर्ग के स्थानान्तरण दिनांक 5-7-82 से 31-7-82 तक सम्पन्न किये जायेंगे और इसके पश्चात कोई भी स्थानान्तरण नही होगा।

2- जे०बी०टी०, सी०एण्ड वी० तथा मास्टरज/मिस्ट्रेसिज के अन्तर जिला स्थानान्तरण निदेशालय स्तर पर दिनांक 5-7-82 से 15-7-82 तक तथा जिला के अन्दर दिनांक 16-7-82 से 25-7-82 तक किये जायेंगे। दिनांक 26-7-82 से 31-7-82 तक की अवधि में जिला स्तर पर हुए स्थानान्तरण आदेशों में यदि कोई त्रुटि हो तो उन्हे दूर किया जायेगा। जिला स्तर पर स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी, जिसके सदस्य उप जिला शिक्षा अधिकारी, दो उप मण्डल शिक्षा अधिकारी तथा दो खण्ड शिक्षा अधिकारी होंगे द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे।

3- मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका/खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा स्कूल प्राध्यापकों के स्थानान्तरण निदेशालय स्तर पर इसी अवधि में किये जायेंगे।

4- स्थानान्तरण कम से कम किये जायें और रिक्ति के विरुद्ध किये जायें।

5- स्थानान्तरण करते समय निम्नलिखित अनुसार प्राथमिकता दी जाये:-

(क) विकलांग- केवल उन्ही अध्यापकों को विकलांग माना जाये जो मुख्यसचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 34/6/79 5-जीएस दिनांक 27-3-80 के अन्तर्गत आते हों।

(ख) विधवा/डाईवरेसी

(ग) दम्पति= वह राजकीय/केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिसका स्थानान्तरण किसी और स्थान पर न हो सकता हो।

(घ) सेवा में कार्यरत सैनिकों के बल्ड रिलेशन- सैनिकों की पत्नियाँ तथा उनके पुत्र एवं अविवाहित पुत्री को ही लाभ दिया जाता है।

66- मैडीकल आधार पर स्थानान्तरण -

यह लाभ केवल हृदय रोगी तथा कैंसर पीड़ित अध्यापकों को ही दिया जाये। इसके लिये चिकित्सा प्रमाण पत्र पी०जी०आई०चण्डीगढ़, मैडीकल कालेज, रोहतक या आल इंडिया मैडीकल इन्सटीच्यूट दिल्ली के हैड आफ दी डिपार्टमैन्ट से प्रतिहस्ताक्षर करवा कर देना होगा।

7- कोई भी आवेदन पत्र नियुक्ति स्थान से 8 किलोमीटर के अन्दर स्थानान्तरण हेतु स्वीकार न किया जाये। शहरी क्षेत्र में उसी शहर के एक हाऊस रैंट स्थान से दूसरे हाऊसरैंट स्थान तथा ग्रामीण क्षेत्र से एक स्थान से दूसरे स्थान।...

8 (क) यदि कोई अध्यापक शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरण चाहता है तो उसे मैरिट कम वरिष्ठता के आधार पर ही बदला जाये। मैरिट को आंकते समय शिक्षकों के परिणाम स्कूल शिक्षा बोर्ड के परिणाम से 10 प्रतिशत से ऊपर हो तो उन्हे अच्छा आंका जाये। यदि किसी शिक्षक के परिणाम बोर्ड की पास प्रतिशत से कम हो तो उसे घटिया आंका जाये और इसके लिये परिणाम पिछले तीन सालों के या जितने समय से अध्यापक वर्तमान स्थान पर कार्य कर रहा है, को सम्मुख रखा जाये।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र से केवल उन्ही अध्यापकों को शहर में स्थानान्तरण किया जाये जो कम से कम 10 वर्ष की ग्रामीण सेवा पूरी करते हों या उनकी सेवा अवधि का 3/4 भाग ग्रामीण क्षेत्र में व्यतीत हुआ हो।

(ग) इसी प्रकार शहरी क्षेत्र से उन्ही अध्यापकों का स्थानान्तरण किया जाये जिनका ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव कम से कम हो और उनकी कुल सेवा अवधि का 3/4 से कम हो।

9- लम्बित अवधि के विरुद्ध यदि स्थानान्तरण किया जाये तो वह केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाये और उसी अध्यापक के विरुद्ध किया जाये जिसका कम से कम वर्तमान स्थान पर शहर में ठहराव 3 वर्ष और गावें में 5 वर्ष हो। यदि एक अध्यापक अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान से स्थानान्तरित होकर पुनः एक वर्ष में वापिस उसी स्थान पर आ जाता है तो इस अवधि को ब्रेक न समझा जाये और लोंगर स्टे की अवधि को गिनते समय उसके पूर्व कार्य भार सम्भालने की तिथि से ही गिना जाये परन्तु बाहर बिताये हुए समय को उस समय के ठहराव में न गिना जाये।

10(क) जिन शिक्षकों का आचरण ठीक नही है या परीक्षा परिणाम लगातार माईनस में हैं ऐसे अध्यापकों को उनके इच्छुक स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर बदल दिया जाये।

(ख) यदि कोई स्थानान्तरण प्रशासकीय आधार पर किये जायें तो उसके कारण का रिकार्ड जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में रखा जाये।

11- विकलांग/दम्पति/विधवा/डाईवरसी और सेवा में कार्यरत ब्लड रिलेशन को उनके वर्तमान स्थान से स्थानान्तरित उनकी इच्छा के विरुद्ध न किया जाये

12- किसी भी विद्यालय मे केवल एक महिला अध्यापिका नही होनी चाहिये। कन्या विद्यालयों में महिला अध्यापिकाएं ही लगाई जायें। यदि

विज्ञान /गणित के विषयों के लिये महिला अध्यापिका उपलब्ध न हो तो पुरुष अध्यापक आयु का ध्यान न रखते हुए लगाया जा सकता है परन्तु अन्य विषयों के लिये यदि पुरुष अध्यापक लगाना ही पड़े तो उसकी आयु 40 वर्ष से कम न हो।

13- सरकार के माध्यम से जितने भी स्थानान्तरण हेतु आदेश प्राप्त हों उनका निपटान भी स्थानान्तरण नीति को सम्मुख रखते हुए किया जाये। यदि कोई शिक्षक स्थानान्तरण आदेशों की पालना नहीं करता तो जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ करेंगे और इस प्रकार का इन्द्राज उस अध्यापक की गोपनीय रिपोर्ट में भी करेंगे।

14- सिरसा जिला में सभी वर्ग के नियमित अध्यापकों की कमी है।इसलिये किसी भी वर्ग के अध्यापक को जिला सिरसा से बाहर किसी अन्य जिले में स्थानान्तरित न किया जाये।

15- फरीदाबाद जिले में किसी अन्य जिले से किसी भी जे०बी०टी० अध्यापक का स्थानान्तरण न किया जाये क्योंकि अभी जिला गुड़गावां से जिला फरीदाबाद में आने वाले जे०बी०टी०अध्यापक वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

(हस्ताक्षर)

सहायक निदेशक वि-2,
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा,हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़: 15-7-82

इसकी एक प्रति निदेशालय की स्कूल पक्ष की स्थापना शाखाओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

(हस्ताक्षर)

सहायक निदेशक वि-2,
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा,हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़:

एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाती है:-

1- पी०ए०/ नि०उ०शि०
2- पी०ए०/ नि०वि०शि०
3- संयु०नि०वि०
4- प्रशासन अधिकारी।
5- उ०नि०वि०-1
6- स०नि०वि०-1
7- स०नि०वि०-3

(हस्ताक्षर)

सहायक निदेशक वि-2
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा,हरियाणा।